

तीन अपराधी उसे स्टेशन मास्टर के क्वार्टर पर ले गये। सहायक स्टेशन मास्टर के पुकारने पर स्टेशन मास्टर बाहर आ गये और पिस्तौल के जॉर पर उन्हें अपराधियों के साथ चल पड़ने और मुहरबन्द बंडल में रखी हुई 707 रुपये की नकदी उनके हवाले करने को विवश होना पड़ा। उसके बाद, लूटी हुई नकदी, पुरा से मैनपुरी के 15 टिकट अन्य स्टेशन अभिलेख और सहायक स्टेशन मास्टर की वर्दी की चीजों को लेकर डकैत स्टेशन से चले गये।

अलीगढ़ की सरकारी रेलवे स्पुलिस ने 30-12-1967 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अधीन अपराध सं० 183 का मामला दर्ज किया था। अभी तक एक आदमी गिरफ्तार हुआ है और पुलिस अभी मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। अभी कोई सम्पत्ति बरामद नहीं हुई है।

राजस्थान के कोटा और अन्य स्टेशनों से फर्श की टाइलों का निर्यात

81. श्री शौंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बता की कृपाने करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के कोटा तथा अन्य नगरों से पालिश कः हुई तथा बिना पालिश कुछ टाइलें निर्यात की जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों किस्म की टाइलें बाजार में तृष्क-मृष्क बंची जाती हैं ;

(ग) क्या दोनों किस्म की टाइलों की भाड़े को दरें भिन्न भिन्न हैं और यदि हां, तो उनमें कितना अन्तर है ; और

(घ) 1966-67 में रायगंज और भवानी केन्द्रों से पालिश की हुई और बिना पालिश फर्श की टाइलों से कितनी राशि बमूल हुई ?

लवे मंत्री (श्री च० सु० पुताबा) :

(क) राजस्थान के कोटा या अन्य स्टेशनों

से बिना पालिश कः हुई या पालिश की हुई फर्श की टाइलें बुरा नहीं की जाती। लेकिन कोटा डिबीजन के रामगंज मंडी स्टेशन से फर्श पर बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाली विभिन्न आकारों में कटी हुई पत्थर की तिल्लियां बुरा की जाती हैं। पत्थर की इन तिल्लियों में से कुछ पालिश की हुई होती हैं।

(ख) पालिश की हुई या बिना पालिश की हुई पत्थर की तिल्लियां मिले-जुले रूप में ए 5 साथ बुरा की जाती हैं। यह कहना कठिन है कि वे बाजार में अलग-अलग बेची जाती हैं या नहीं।

(ग) पत्थर की तिल्लियों के लिए माल भाड़ा बही है, चाहे वे पालिश की हुई हों या बिना पालिश की हुई। प्रभायं दर फुटकर में 50-ती और मालटिब्या भार में 35-ए है।

(घ) फर्श के लिए इस्तेमाल होने वाली पत्थर की तिल्लियों के अलग-अलग आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1966-67 में रामगंज मंडी से पत्थर का कुल यातायात जिसमें इस प्रकार की तिल्लियां भी शामिल हैं, 1,43,961 मोटरिक टन था और उनमें कुल 37,07,196 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ।

भवानी मंडी में इन प्रकार का कोई यातायात नहीं हुआ।

कोटा रेलवे स्टेशन

82. श्री शौंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा रेलवे स्टेशन पर तीसरी श्रेणी का कोई प्रतीक्षा एवं विश्राम कक्ष नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर प्रथम श्रेणी के और प्रतीक्षा कक्षों तथा विकास कक्षों की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतीक्षा कक्ष तथा विश्राम कक्ष बढाने के लिए सरकार का क्या कार्यय ही करने का विचार है और इस कार्य में कितना समय लयने की सम्भावना है ?